Regarding alleged sub-standard construction work of bypass on NH-731 in Shahjahanpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh-laid

श्री अरुण कुमार सागर **(**शाहजहाँपुर**) :** मैं सरकार का ध्यान पुनः दिनांक 27-07-2023 में विगत लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए उस प्रकरण की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें मैंने उल्लेख किया था कि मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-731 के खण्ड शाहजहाँपुर बाईपास से खुटार बाईपास का निर्माण कार्य किया जा रहा है । लेकिन, कार्यदायी एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-731 के उक्त खण्ड में अत्यधिक निम्नस्तरीय सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से कार्य की गुणवत्ता अत्यधिक निम्न स्तर की है। घटिया निर्माण कार्य के कारण सरकारी धन का न केवल काफी दुरूपयोग हो रहा है, बल्कि सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। ये सब अनियमितताएं कार्यदायी एजेंसी द्वारा की जा रही हैं।

मैंने सदन में नियम 377 के अधीन सूचना के अन्तर्गत यह मांग की थी कि मेरे संसदीय जनपद में शाहजहाँपुर बाईपास से खुटार बाईपास तक राष्ट्रीय राजमार्ग-731 पर किये जा रहे कार्य की मंत्रालय स्तर पर एक उच्च स्तरीय तकनीकी गठित करके विस्तृत जाँच करवाकर इसमें संलिप्त कार्यदायी एजेंसी और अधिकारियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाए ।

इस संदर्भ में, मुझे पूर्व सड़क परिवहन, राजमार्ग राज्य मंत्री, भारत सरकार का अ०शा० पत्र संख्या एच-11016/93/2023-बीपी एवं एसपी दिनांक 10-02-2024 प्राप्त हुआ था, जिसमें अवगत कराया गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मुख्यालय ने एक जांच टीम गठित कर स्थानीय निरीक्षण कराया गया है । जांच आख्यानुसार आगे की आवश्यक कार्यवाही की जाएगी । लेकिन, संदर्भित प्रकरण में दोषी कार्यदायी एजेंसी और इसमें संलिप्त अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है, उसकी सूचना मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुई है, जो अत्यधिक दुःखद है ।

मेरा पुनः अनुरोध है कि मेरे द्वारा विगत लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए संदर्भित प्रकरण में दोषियों के विरूद्ध मंत्रालय द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है, उसकी जानकारी मुझे भिजवाए जाने हेतु निर्देशित किया जाए और यदि अभी जांच का कार्य पूरा नहीं हुआ है तो फिर मंत्रालय स्तर पर जो उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित की गई है, उसमें स्थानीय सांसद को भी शामिल किये जाने एवं साथ ही तकनीकी समिति के अधिकारियों के साथ स्थानीय सांसद को भी संयुक्त तौर पर निरीक्षण किए जाने हेतु निर्देशित किया जाए, ताकि वह मौका स्थल पर तकनीकी समिति के अधिकारियों को वास्तविकता से अवगत करा सके और दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जा सके।